न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 20/2022
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2022/49

श्रीमती लीलावती उम्र 52 साल पत्नी जयदीप जाति जाट नि0 सांवलोदा तहसील खेतडी जिला झुंझुंनू हाल नि0 कृषि उपज मंडी के सामने सीकर तह0 जिला सीकर।

प्रार्थीया,

बनाम

1. दयाकिशन पुत्र भूराराम। समस्त जाति जांगिड़ नि0 सुन्दरपुरा तह0 दांतारामगढ
2. सांवरमल पुत्र भूराराम । जिला सीकर।
3. हरिनारायण पुत्र भूराराम।
4. रामनिवास पुत्र रामेश्वर जाति माली नि0 गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़,सीकर।
5. ज्यानकी पत्नी बिडदीचंद जाति जाट नि0 ढाणी ढाकावाली तन सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
6. हल्का पटवारी प0ह0 मंढा ।मदनी। तहसील दांतारामगढ़,सीकर।
7. उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
8. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।
9. सहायक अभियंता, अविविनिलि0 पलसाना।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, वकील प्रार्थीया की ओर से।
2. ,, प्रभातीलाल अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से।
3. ,, एन0के0फगेडिया, अप्रार्थी सं0 9 की ओर से।
4. ,, नसीर अहमद खान अप्रार्थी सं0 5 की ओर से।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 25.02.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आराजी ख0नं0 694 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ख0नं0 710/823 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 855/695 रकबा 4.55 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.6944 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित है, जिसके पुराने ख0नं0 418/2 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रहे है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज है। ग्राम गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़ में अवस्थित पुराने भूमि ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा अवस्थित रहीं है, जिसकी खातेदारी पूर्व में जगन्नाथ, श्यामा,

सहायक कलक्टर(मु०)सीकर

Scanned with CamScanner

धन्ना पुत्रगण हनुमानाराम माली के नाम दर्ज रही है, जिसके मध्य में से जयपुर बीकानेर सडक मार्ग निकलने के उपरांत सड़क में जाने वाली भूमि के बाद शेष बची भूमि का निम्न प्रकार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया था :–

क0सं0	विक्रय पत्र दिनांक	क्रेता	रकबा	बट्टानं0
1.	5.7.1970	गोरधन सिंह जाट	22 बीघा 4 बिस्वा	418/2
2.	22.12.1970	हरिसिंह, भंवरसिंह	16 बीघा पुख्ता	418/3
3.	16.6.71	हरिवनारायण जांगिड़	9 बीघा 2 बिस्वा	418/4
4.	17.06.1971	ज्यानकी देवी	16 बीघा	418/1
5.	सीकर जयपुर सडक में गई भूमि जो सन् 1970 के पहले से है		9 बीघा 11 बिस्वा	418/5
	कुल रकबा		72 बीघा 17 बिस्वा	

पुराने ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार जगन्नाथ,श्यामा,धन्ना पुत्रगण हनुमाना जाति माली द्वारा 22 बीघा 4 बिस्वा भूमि का बेचान गोविन्द सिंह जाट को किया गया था। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रीत भूमि में से 10 बीघा भूमि जयपुर सीकर सड़क मार्ग के उत्तर में अवस्थित है व शेष भूमि सडक मार्ग के दक्षिण की तरफ अवस्थित है, क्रेता गोविन्दसिंह जाट द्वारा कब्जा प्राप्त कर अपने नाम दर्ज संपूर्ण भूमि प्रार्थीया के पति जयदीप द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 3.8.1984 के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा खातेदारी प्रार्थीया के पति के नाम दर्ज हो चुकी थी। प्रार्थीया के पति का देहान्त 10.2.1990 को हो जाने के उपरांत उपरोक्त भूमि प्रार्थीया को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। पुराने भूमि ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा में से पैरा सं0 2 में वर्णित 4 विक्रय पत्रों द्वारा बेचान किये जाने व 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि सडक मार्ग में जाने के बाद जगन्नाथ, श्यामा, धन्ना पुत्र गण हनुमानाराम माली के पास भूमि ख0नं0 418 में कोई भूमि शेष नहीं बचती है, लेकिन सडक मार्ग में जाने वाली भूमि के रकबे 9 बीघा 11 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण उक्त भूमि मूल खातेदारान जगन्नाथ वगैरह के नाम दर्ज रही है, जिनकी मृत्यु होने पर उक्त भूमि उनके वारिसानों के नाम जरिये विरासत दर्ज हो गई, जबकि मौके पर कोई भूमि शेष नहीं थी। लेकिन भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम का नाजायज फायदा उठाकर जगन्नाथ वगैरह के वारिसान ने अपने नाम गलत दर्ज भूमि का एक साजशी विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2005 अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की माता मुलकी देवी के पक्ष में तहरीर करवा दिया जिस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय जिला जजी महोदय,सीकर के यहां लीलावती बनाम मुलकी आदि दावा सं0 20/2018 प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। दावे के विचाराधीन रहते मुलकी देवी के देहान्त होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा उक्त भूमि साजशी तरीके से अपने नाम दर्ज करवाली है। पुराने ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा के बट्टा नंबर 418/1, 418/2, 418/3, 418/4,418/5 के भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नये ख0नं0 सृजित किये गये व सर्वेशीट में अंकन किया गया,

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

लेकिन सर्वेशीट में अंकन करते समय प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के नवसृजित खसरा नंबर का सर्वेशीट में अंकन करते समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे एंव मौके के अनुसार अंकन नहीं कर कम स्थान पर अंकन कर दिया एंव प्रार्थीया के हिस्से वाली भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज गलत खातेदारी व अप्रार्थी सं0 5 के नाम दर्ज भू भाग को सर्वेशीट में प्रार्थीया के हिस्से वाले भू भाग में अंकित कर दिया। प्रार्थीया के नाम दर्ज भाग का सर्वेशीट में अंकित भू भाग का नाम प्रार्थीया के नाम दर्ज 4.6944 के अनुरूप नहीं होकर प्रार्थीया के नाम दर्ज हिस्से में आधे से कम होता है। प्रार्थीया के नाम दर्ज हिस्से के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम दर्ज हिस्सा जो सर्वेशीट में अंकित ख0नं0 824/695, 825/695,853/695, 709/775 भी प्रार्थीया के भू भाग में अंकित है इसलिए उपरोक्त ख0नं0 का व प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 855/695, 710/823, 694 का भू प्रबन्ध विभाग सीकर से नक्शे का नाप करवाया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर इसी अनुसार सर्वेशीट में संशोधन कर उपरोक्त खसरा नंबर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जाना उचित व न्याय संगत है। प्रार्थीया के हिस्से में आई भूमि नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल में पूर्ण नहीं होने से प्रार्थीया के हितों व खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडता है तथा अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज खसरा नंबर का सर्वेशीट में गलत अंकन के आधार पर प्रार्थीया को बेदखल कर उक्त भू भाग पर जबरन कब्जा करने, कच्चा पक्का निर्माण करने व गलत खातेदारी के आधार पर अपने नाम विधुत कनेक्शन लेने दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर इसी स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1, 2, 5 व 9 जरिये वकील उपस्थित आए । अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जरिये वकील जवाब आवेदन पेश कर आवेदन पत्र की मद सं0 1 व 2 को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा 3 ता 7 गलत होने से अस्वीकार है मद सं0 8 कानूनी होना बताया है तथा विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीया ने आवेदन में ख0नं0 709/775, 824/695, 853/695 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा एंव ख0नं0 694, 710/823, 855/695 की सर्वेशीट को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जो कि आपस में विरोधाभाषी अनुतोष है। एकतरफ प्रार्थीया ख0नं0 709/775, 824/695, 853/695 की खातेदार घोषित होना चाहती है दूसरी तरफ ख0नं0 694, 710/823, 855/695 की सर्वेशीट को परिवर्तित करवाना चाहती है, जबकि ख0नं0 694, 710/823, 855/695 कुल किता 3 कुल रकबा 4.6944 है0 कि खातेदारी प्रार्थीया के नाम से है जिस पर अन्य किसी का कोई क्लेम नहीं है। उक्त सर्वेशीट पूर्णतया सही है एंव ख0नं0 709/775 रकबा 1.25 है0 के अप्रार्थी सं0 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है जिसकी खाातेदारी प्रार्थीया को प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा ख0नं0 824/695 रकबा 0.0870 है0 भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की खातेदारी की भूमि होकर गै0मु0 सडक है, जिसकी खातेदारी भी प्राप्त करने का प्रार्थीया को

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

कोई कानूनी प्रावधान नहीं है एंव ख0नं0 853/695 की भूमि जानकी पत्नि बिडदीचंद की खातेदारी है इसलिए वाद पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 कृषि भूमि ख0नं0 709/775, 710,825/695 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8630 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा के अपने–अपने हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदार काबिज है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की माता मुलकी के नाम से विधुत कनेक्शन है। उनके मकानात है, जो कि अपने हिस्सा की भूमि पर निरन्तर एंव निर्विवाद रूप से काबिज है। इस कृषि भूमि के संबंध में अपील सं0 5/2006 बउनवानी ग्राम पं0 मंढा बनाम मूलकी देवी आदि नामान्तकरण के संबंध में प्रस्तुत हुई थी, जिसमें दिनांक 05.02.2007 को तहसीलदार दांतारामगढ़ के आदेश कमांक 229 दिनांक 16.01.2007 की पालना में प0ह0 को साथ लेकर नायब तहसीलदार, पलसाना ने उपस्थिति साक्षीगण की उपस्थिति में मौका देखा था एंव मौके पर ही फर्द मौका कार्यवाही रिपोर्ट तैयार की थी,जिसके अनुसार भी ख0नं0 710,709/775 नेशनल हाईवे के उत्तर दिशा में होना एंव उक्त भूमि में कुंआ, पानी की टंकी, कुंए के पास में पुख्ता मकान अवस्थित होना एंव मकानात की दीवार पर सांवरमल का नाम अंकित होना व पुख्ता मकान में दरवाजे पर जांगिड सदन लिखा होना तथा कुंए की उत्तरी कोने पर 100फीट दूरी पर बालाजी का मंदिर बना होना व उक्त ख0नं0 पर मुताबिक खातेदारी श्रीमती मुलकी देवी एंव रामनिवास का कब्जा होना तथा ख0नं0 695/821 राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में होना आज से अर्सा करीब 15 वर्ष पूर्व भी प्रमाणित था। उसके बाद दिनांक 24.03.2022 को उपतहसीलदार, पलसाना के आदेश कमांक 93 दिनांक 23.03.2022 द्वारा भी फर्द मौका रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसके अनुसार भी अप्रार्थी सं0 1 ता 4 का कब्जा प्रमाणित है। इससे स्पष्ट हे कि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 विक्रेता के फुट स्टेप पर निरन्तर व निर्विवाद रूप से काबिज है जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनके विरूद्ध यह उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वाद कारण पैदा नहीं हुआ इसलिए वाद कारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीया ने पूर्व में भी वाद पत्र पेश किया था जो कि खारिज हो गया था। उक्त डिक्री व निर्णय की अपील हुई थी, जिसमें अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा अपील होने पर रिमाण्ड किया गया था। इसलिए यह पश्चात्वर्ती वाद पत्र होने के कारण भी वाद पत्र पोषणीय नहीं है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं0 5 ने जरिये वकील जवाब आवेदन पेश कर आवेदन पत्र की मद सं0 1 स्वीकार होना बताया। मद सं0 2 में जबाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं0 3 4, 5, 6 आंशिक रूप से स्वीकार की है। विशेष कथन में अंकित किया है कि अनावेदिका/उत्तरदाता का ख0नं0 418/1 के मुताबिक रकबा 16 बीघा पुख्ता जिसके 4.04 है0 जमीन हिस्से में आती है। परन्तु नये बनाये गये ख0नं0 में 3.19 है0 जमीन ही दर्ज की गई है, जबकि नक्शें में कुल क्षेत्रफल 4.69 है0 जमीन अंकित कर दी गई है। नई सर्वे शीट में अनावेदिका का 3.19 है0 जमीन के स्थान पर 4.04 है0 जमीन अंकित किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है। जवाब आवेदन पत्र पेश कर आवेदन खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं0 9 ने जरिये वकील जवाब आवेदन पेश कर आवेदन पत्र की मद सं0 1 स्वीकार होना बताया। मद सं0 2, 3, 4, 5, 6, 7 गलत होने से अस्वीकार की है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थी का आवेदन पत्र अप्रार्थी सं0 9 के विरूद्ध खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2024 (2) पेज सं0 1372 एंव आरबीजे 2020 पेज सं0 82 पेश की तथा वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2024 (1) डीएनजे (आरईवी) पेज नं0 125, 2024 (2) डीएनजे (आरईवी) पेज नं0 1324 पेश किये, का ससम्मान अवलोकन किया गया।

पत्रावली एंव पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है आराजी ख0नं0 694 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ख0नं0 710/823 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 855/695 रकबा 4.55 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.6944 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित है, जिसके पुराने ख0नं0 418/2 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रहे है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज है। ग्राम गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़ में अवस्थित पुराने भूमि ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा अवस्थित रहीं है, जिसकी खातेदारी पूर्व में जगन्नाथ, श्यामा, धन्ना पुत्रगण हनुमानाराम माली के नाम दर्ज रही है। पुराने भूमि ख0नं0 418 रकबा 72 बीघा 17 बिस्वा में से पैरा सं0 2 में वर्णित 4 विक्रय पत्रों द्वारा बेचान किये जाने व 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि सडक मार्ग में जाने के बाद जगन्नाथ, श्यामा, धन्ना पुत्र गण हनुमानाराम माली के पास भूमि ख0नं0 418 में कोई भूमि शेष नहीं बचती है, लेकिन सडक मार्ग में जाने वाली भूमि के रकबे 9 बीघा 11 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण उक्त भूमि मूल खातेदारान जगन्नाथ वगैरह के नाम दर्ज रही है, जिनकी मृत्यु होने पर उक्त भूमि उनके वारिसानों के नाम जरिये विरासत दर्ज हो गई, जबकि मौके पर कोई भूमि शेष नहीं थी। लेकिन सर्वेशीट में अंकन करते समय प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के नवसृजित खसरा नंबर का सर्वेशीट में अंकन करते समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे एंव मौके के अनुसार अंकन नहीं कर कम स्थान पर अंकन कर दिया । प्रार्थीया के हिस्से में आई भूमि नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल में पूर्ण नहीं होने से प्रार्थीया के हितों व खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडता है। न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर भू प्रबन्ध विभाग, सीकर से रिकॉर्ड व नक्शे की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों का अवलोकन किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी, पीडब्ल्यूडी,जयपुर व भूमि अवाप्ति विभाग की जमाबंदी व नक्शे का अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रमाणित है कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमियों का मूल खसरा नंबर 418 रहा है तथा प्रार्थी द्वारा मूल खातेदारान द्वारा गोविन्दराम पुत्र पेमाराम को किये गये विक्रय पत्र में बेचान की गई भूमि ख0नं0 418 में से गुजरने वाली सीकर जयपुर सड़क के दोनों ओर अवस्थित होना अंकित किया गया है तथा प्रार्थीया के पति द्वारा भूमि गोविन्दराम पुत्र पेमाराम से क्रय की गई है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि विक्रय पत्रों के अनुसार दर्ज नहीं होकर सड़क के एकतरफ अवस्थित है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का रकबा भी कम है। भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार नक्शा नहीं है।

प्रार्थीया द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया गया है,जिसका अंतिम निस्तारण गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं0 1 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ,सीकर के वादग्रस्त आराजी ख0नं0 709/775, 824/695, 825/695, 853/695 कुल किता 04 कुल रकबा 2.419 है0 के मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अप्रार्थी सं0 9 को अप्रार्थीगण को विधुत कनेक्शन जारी करने से प्रतिबंधित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner